





अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी गढी
राफु पिता कर्णी श्रील किंवोरी
किसम मुकदमा :- 38, R.T.A.A

जिला बांसवाड़ा

बनाम नाफु पिता उगा जाति श्रील किंवोरी वंगेराह

प्रकरण संख्या 129 / 16

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय ईनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
11/8/16	<p>पत्रावली बाद जानू दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। वादी राफु पिता कर्णी जाति श्रील निवासी वीरी ने अन्तर्गत धारा 38, R.T.A.A. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिवादी नाफु पिता उगा निवासी वीरी के विरुद्ध वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिवादी के नाम सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 29.9.16 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी गढी, जिला बांसवाड़ा</p>	
29/9/16	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील हाजिर। प्रतिवादी को 4 एवं 5 हाजिर है। प्रतीक 1 से 3 हाजिर नहीं। प्रतीक 6 भी हाजिर नहीं। प्रतिवादी को 1 से 3 एवं 6 के खिलाफ बख्शना कार्यवाही की जाती है। वास्तव में जवाब प्रतीक 4 एवं 5 पत्रावली दिनांक 10.10.16 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"></p>	<p>राज रामभा (वादी)</p>
10/10/16	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर जवाब प्रतिवादी को 4 एवं 5 पत्रावली दिनांक 16.11.16 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"></p>	
12/11/16	<p>पत्रावली को अन्तर्गत केम गढी में पेश हुई। वकील वादी उपस्थित राफु नाफु पेश गरी दोसरा पत्रावली अन्तर्गत पत्रावली प्रतीक 1 का कार्यवाही दिनांक 16/11/16 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"></p>	

31.7.19

फतावली पैरा हुई। भारी बरसके अग्निप्रापक की तीन-चार
आर भावाण प्रगवाई गई। अग्निम भावाण 4.30 P.M. पर
आवाई गई, जोई उपस्थित नसी हुआ। पूर्व में भी भारी
अग्निप्रापक को कई अवसर ई गे जा चुके हैं। अतः
फतावली अदम हाजरी व अदम पेशवा में खादीण की
जाती है। फतावली फैसल शुमार होकर आर दरबारा
दाखिल दरार हो। ६१